| | | |
|---|---|---|
| 16/9/26 | जमाबन्दी घोषित हुई। अधि. अधिकारी उप. नगरी। अधि. अधि. को 2-3 दिन आवश्य. विभागी तौकि उपस्थित नहीं। प्रकरण अधिवक्ता के माध्यम से निस्तारण बताया आ रहा है। अधि. अधि. के अनुपस्थित होने पर प्रस्तुत प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना संभव नहीं होने के कारण आवश्यकरूपेण अधि. अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर जमाबन्दी अग्रिम तिथि तक पेश्वी अधिवक्ता के कारण की जाती है। विभिन्न की प्रकरणों में अधि. अधिवक्ता उपस्थित की जानकारी लेकर पत्रावली अग्रिम तारीख तक स्थगित रखा जाता है। | 106/23 |

अति. सं. आयुक्त
कोटा